उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग–एक)

संख्या 493-सी /उ0नि0(एक)–03/2023–24

दिनांकः देहरादूनः 08 मई, 2023

समस्त महा प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
उत्तराखण्ड।

शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के आलोक में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2023–24 में कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जानी है। स्थानान्तरण हेतु विकल्प भरे जाने एवं अपना सेवा विवरण देखने हेतु कार्मिकों के लॉगइन आई.डी. पासवर्ड पूर्व की भाति हैं और कार्मिक अपना पासवर्ड अपनी सुविधानुसार बदल सकता है।

2. साफ्टवेयर में यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में प्रदर्शित सूचना में किसी प्रकार की भिन्नता प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित कार्मिक एक सप्ताह के अन्दर साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है, ताकि साफ्टवेयर में त्रुटियों का ससमय निराकरण किया जा सके।

3. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17 (2) (घ) के अनुसार विभागीय संगठन के प्रान्तीय/जिला स्तरीय अध्यक्ष/सचिवों को पद धारित करने की तिथि से पद पर बने रहने अथवा 02 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, की अवधि हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण नहीं किया जाना है। तदनुसार साफ्टवेयर द्वारा विभागीय संगठन के सभी प्रान्तीय/जिला स्तरीय अध्यक्ष एवं सचिवों, जिनका कार्यकाल वर्तमान स्थानान्तरण सत्र की आधार तिथि मई, 2023 को उक्तानुसार पूर्ण नही हुआ है, के सम्बन्ध में स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. साफ्टवेयर द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–3 (ज) एवं धारा–7 (घ) (एक) के अनुसार 55 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के कार्मिकों को उक्त वर्णित सूचियों में शामिल नही किया गया है।

5. अतः आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों से **www.karmik.doiuk.org** पर कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु विकल्प दिनांक 31 मई, 2023 तक भरवाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कार्मिक द्वारा दिनांक 31 मई तक अपना विकल्प नहीं भरा जाता है तो तदनुसार स्थानान्तरण समिति द्वारा निर्धारित मानकों के तहत् सम्बन्धित कामिक कें सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

6. वार्षिक स्थानान्तरण सत्र वर्ष 2023–24 के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु अर्ह कार्मिकों की सूची इस हेतु गठित कमेटी द्वारा अन्तिम किये जाने के पश्चात ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

7. यद्यपि कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये है तथापि अपने अधीनस्थ अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कार्मिकों के प्रार्थना पत्र उक्त वर्णित वेबसाईट पर पूर्व की भॉति आवश्यक अभिलेखों एवं अपनी संस्तुति सहित दिनांक 31 मई, 2023 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(शिखर सक्सैना)
संयुक्त निदेशक उद्योग।

पृ0सं0 /उक्त/तददिनांक।

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

(शिखर सक्सैना)
संयुक्त निदेशक उद्योग।